

અનુભૂતિ કરતાં કાળી હાજરી આપીએ.

↑ कम डाउन पेंट



₹ 100% तक ऑन-रोड फंडिंग

अट्टी बायत
CELERIO ₹50 100*
DZIRE ₹19 100*

SWIFT ₹30 100* **WAGONR ₹54 100***

S-PRESSO ₹14 100*

ओफर सिर्फ़ स्टॉक
उद्देश तक मान्य है।

CELERIO SWIFT S.PRESSO DZIRE WAGON R



E-book today at www.marutisuzuki.com or visit your nearest Maruti Suzuki dealership | For bulk orders, mail at: ankit.syal@maruti.co.in

विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। -हरिऔदैय

यह कैसा लोकतंत्र?

“भा

रत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है”, यह वाक्य हम विश्व के लगभग सभी मंत्रों पर भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, देश की जनता ने इसे सही सिद्ध भी किया है। उदाहरणार्थ, जब तकलीन प्रधानमंत्री दिवार गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल लागू किया तो एक बार ऐसा लगा कि लोकतंत्र न केवल संचय के लिए विदा हो गया, किंतु मार्च 1977 में हुए चुनावों ने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र ही है। जनता ने इसका प्रतिक्रिया दिवार गांधी के नेतृत्व वालों को गोपन कर दिया।

इसके पश्चात समय-समय पर कई ऐसी घटनाएं हुई जो लोकतंत्र की मूल भावन के विपरीत थीं, जिससे यह लगा कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो रहा। सरत के दशक में निवारित विधायकों में जिस तेजी से बार-बार दल बदले, उसे ‘आया राम, गया राम’ का नाम दिया गया। इस प्रकार कोई भी बटनाओं को रोकने के लिए 1985 में दलवाल विरोधी कानून लागू किया गया। इसके अंतर्गत यह प्रावधान के लिए तीव्र सदस्यों के एक साथ दल बदलने पर उसके सदस्यता खो दिया गया। इसके बीच जब दल बदल की प्रतीक्षा पर भ्रमिता अंतुरु नहीं लगा तो बाद में इसमें संसोचक कर एक तिकड़ी की आनंदवालों को बढ़ावा दें तीव्र दिवार कर दिया गया। यह लिखने को एक अवश्यकता नहीं है कि दल बदल किसी वैचारिक आधार पर नहीं होकर केवल मात्र पद और धन के लोधे में ही होता है।

गत सप्ताह जो टाइनक्रम महाराष्ट्र के भारतीय लोकतंत्र की उपहास का पात्र बना दिया है ऐसा कहने का आधार क्या है? यह निम्न विवेचन से स्पष्ट हो जाएगा।

2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का चुनाव पूर्ण समझौता था। उन्होंने आपस में सेटों का बंदरगाह किया था। इन दोनों दलों को मिलकर बदलते समय भी गोपनीय विधायकों के गठबंधन को मिला था। चुनाव में आपस अनेक बाद चुनावीं पद की महात्माकांश के कारण बहुत चीज़ों चली गयी। इसके बाद फँडनवीसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहीं थी, जबकि शिवसेना उड़वा टाकरे को शिवसेना का कहना था कि ऐसा आशासन भाजपा द्वारा उड़वे दिया गया था।

जब भाजपा ने उड़वा टाकरे को मुख्यमंत्री बनाना से इकाकर कर दिया, तो उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंतर्गत पवार को उम्मुख्यमंत्री का प्रोलेटन देकर, देवेंद्र फँडनवीसी को मुख्यमंत्री पद की स्थापना सुनहरे से पहले ही राजसभा में दिलवा दी। ऐसी न ही चली थीं और न ही चल पाई। यह तीन दिन में यह गिर गय और उड़वा टाकरे ने राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ मिलकर महा विकास का संगठन बनाया।

फलत्वरूप, शिवसेना ने भाजपा से अलग होने का निर्णय किया था और कांग्रेस की उपहास का केंद्र विवेद करते हुए जब एक प्रावधान के लिए चुनाव देखता है तो उसके लिए चुनाव देखता है। इसके बाद एक अवसर कर दिया गया और महाराष्ट्र में सकारात्मक बन गया। निश्चित रूप से, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने स्वर्ण को ठग हुआ महसूस किया होगा।

कहा जाता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। यही कहानी महाराष्ट्र के मामले में स्टीकी बैठती है जो काम शिवसेना ने भाजपा के साथ किया था, वही काम अब भाजपा, शिवसेना के साथ कर रही है।

शिवसेना ने नंबर दो के नेता एकान्ध के लिए लगभग 40 शिवसेना के साथ सुनहरे उड़वा टाकरे के विरुद्ध विवेद करते हुए अपने गुट बना लिया। एक नाथ सिंहेर गत 8 दिन से मैटिड्या में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वहले वे विधायक सूत के एक पांच सितारा होटल में ठहरे और गत 7 दिन से गुवाहाटी के पांच सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। इनकी एक एक गतिविधि पर मैटिड्या द्वारा ऐसी जीवन को अंदरूनी से भी गोपनीय गतिविधि के पक्ष में बनाया गया है। इनकी एक एक गतिविधि पर मैटिड्या द्वारा ऐसी जीवन को अंदरूनी से भी गोपनीय गतिविधि के पक्ष में बनाया गया है।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल बदल कानून की कमियों के कारण मिलता है। फिलहाल

यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा

हुआ है, एक दृष्टिकोण यह है कि दो

तीव्र है से अधिक अलग हुए विधायक तभी अयोग्यता से बच सकते हैं जब

वह किसी दल में विलय हो जाए।

विधायकों को अपनी प्रतिबद्धता बदलने का अवसर दल ब

